R. 5018-पी/15-210

367
1.9.15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

Rs-201

हनुमान प्रसाद पिता काशी प्रसाद गुप्ता द्वारा पुत्र ज्ञानचन्द्र गुप्ता पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी पुर्वा 310 पटवारी हल्का सर नं-1 तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0 ----**निगरानीकर्ता**

बनाम

1. मथुरा प्रसाद पिता लक्ष्मीदीन उर्फ, कालू सोनी निवासी पुर्वा 310 तहसील मनगवां जिला रीवा म0प्र0
2. शासन म0प्र0 राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ जिला रीवा म0प्र0

----**गैर निगरानीकर्ता**

श्री विपुलशील मिश्रा एड द्वारा आज दिनांक 01-9-15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी बावत ग्राम पुर्वा 310 पटवारी हल्का सर नं-1 की आराजी नं-120/1/1 रकवा 0.136 व 120/4 रकवा 0.134 हेक्टेयर राजस्व निरीक्षक मंण्डल गढ़ तहसील मनगवां जिला रीवा द्वारा किए गए विधि विरुद्ध नक्शा तरमीम निरस्तगी हेतु।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1. यह कि ग्राम पुर्वा 310 पटवारी हल्का सर नं-1, राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ की आराजी नं-120/1/1 रकवा 0.136 हेक्टेयर के भूमिस्वामी गैर निगरानीकर्ता क्रमांक-1 राजस्व अभिलेखों मे दर्ज है।
2. यह कि आराजी नं-120/1/1 व 120/4 का नक्शा तरमीम राजस्व निरीक्षक मण्डल गढ़ द्वारा पटवारी हल्का के पेंसिलिंग की पुष्टि करते हुए दिनांक 03.10.2014 को चुका है जिसकी नकल निगरानीकर्ता द्वारा तहसील से जारी की जा चुकी है निगरानी के

एड० पियूषशील मिश्रा हनुमान प्रसाद शुक्ला / मथुरा प्रसाद सोनी

R. 5018-दो/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
3.10.15 (16)	1- आवेदक को प्रकरण की वापसी पर सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी हो 2- वास्ते वापसी पर तर्क पेशी तारीख 15.1.16 आदेश से	
15-1-16 (13)	- आवेदक की ओर से श्री पियूषशील मिश्रा, अधिवक्ता उपस्थित। - वास्ते वापसी पर सुनवाई। C.F. 20.4.16 आज्ञा से, रीडर	
20.4.16 (33)	1. आवेदक अभिभावक श्री पियूषशील मिश्रा उपस्थित। 2. माननीय सदस्य महो० का रीवा आगमन नहीं हो सका 3. वास्ते वापसी पर तर्क। पेशी तारीख 12-5-16 आज्ञा से रीडर राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा	N.P. 20/4/16
12.5-16	प्रकरण में आवेदक अधि० उपस्थित। उन्हें सुना गया। प्रकरण में निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न अभिलेखों की प्रतियों का अवलोकन किया गया। आवे० अधि० द्वारा अपने निगरानी मेमो के साथ प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं की गई है। उन्हें अवसर दिया गया। अवसर दिए जाने के बाद भी प्रश्नाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई। बावजूद प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी इसी स्तर पर अग्राह्य कर समाप्त की जाती है। प्रकरण दा.द. हो।	N.P. 12/5/16

शाक्षेमुम्बा—712—फॉर्म—29-2-12—5,000 प्रपत्र.